वि. सभा तारां. - 1848

परिशिष्ट अ'

[1][122-क. (1) धारा 121 के अधीन परिषदों के लेखे संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा संपरीक्षित किए जाएंगे तथा भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक परिषदों की संपरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण प्रदान करेंगे ।

(2) परिषदों की, संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा की वार्षिक संपरीक्षित रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की वार्षिक तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट के साथ राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी जो कि उक्त रिपोर्टों को विधान सभा के पटल पर रखवाएगा ।]

[2][1][**धारा 122-ख.] सामाजिक अंकेक्षण-** इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, परिषद् ऐसी रीति में सामाजिक अंकेक्षण करवाने का इंतजाम करेगी जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।]

[3][1][**धारा 122-ग.] विभिन्न जानकारियों का लोक प्रकटन.-** (1) प्रत्येक परिषद्, अपने समस्त अभिलेखों को, जो सम्यक् रूप से सूचीबद्ध और अनुक्रमणिकाबद्ध हों, ऐसी रीति तथा प्ररूप में संधारित तथा प्रकाशित करेगी, जो परिषद् को इस धारा के अधीन अपेक्षित जानकारी प्रकट करने के लिये समर्थ बनाए ।

(2) जानकारी के प्रकटन की रीति, उसकी आवर्तिता तथा रूपविधान (फार्मेट) ऐसा होगा, जैसा कि विहित किया जाए ।]

अध्याय 6

परिषद् के कर्तव्य (Duties of Council)

धारा 123. परिषद् के कर्तव्य.— (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कर्तव्यों के अतिरिक्त परिषद् का यह भी कर्तव्य होगा कि वह नगरपालिका की सीमाओं के भीतर निम्नलिखित बातों का जिम्मा ले और उनके लिए युक्तियुक्त तथा पर्याप्त व्यवस्था करे, अर्थात् :—

(क) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा भवनों को प्रकाशित करना;

(ख) सार्वजनिक पथों, स्थानों तथा मल-नालियों और ऐसे समस्त स्थानों को साफ करना जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों और जो सार्वजनिक उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थान परिषद् में निहित हों या न हों, हानिकारक घासपात को हटाना और समस्त सार्वजनिक न्यूसेंस का उपशमन करना;

(ग) विष्ठा तथा कूड़ा करकट का व्ययन करना और विष्ठा तथा कूड़ा करकट से कम्पोस्ट खाद तैयार करना;

(घ) आग बुझाना और आग लग जाने की दशा में जीवन एवं सम्पत्ति की रक्षा करना;

(ङ) घृणोत्पादक या खतरनाक व्यापारों या व्यवसायों का विनियमन या उपशमन करना;

(च) सार्वजनिक पथों या स्थानों में से तथा ऐसे स्थलों में से, जो प्राइवेट सम्पत्ति न हों, और जो सर्वसाधारण के उपभोग के लिए खुले हों, भले ही ऐसे स्थल परिषद् में निहित हों या राज्य सरकार में निहित हों, बाधाओं तथा प्रक्षेपित भागों को हटाना;

(छ) मृतकों की अन्त्येष्टि के लिए स्थान अर्जित करना, उनका अनुरक्षण करना, उनमें

1. मध्यप्रदेश अधिनियम क्र. 3 सन् 2012 द्वारा अन्तःस्थापित/पुनःक्रमांकित ।
2. म.प्र. अधिनियम क्र. 29 सन् 2003 द्वारा अंतःस्थापित । [म.प्र. राजपत्र (असाधारण) दिनांक 25-8-2003]
3. म.प्र. अधिनियम क्र. 19 सन् 2008 द्वारा अंतःस्थापित ।

अनुभाग अधिकारी
मध्य प्रदेश शासन
नगरीय प्रशासन विभाग Urban Administration and Development